

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण के अंतर्गत भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की संभावना है। शीर्ष न होने के कारण योजना अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

गृह विभाग को अवमानना याचिका क्रमांक 1390/2015 मनोज सिंह जादौन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 के पालन में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु पूर्व प्रयोजन के लिये अनुदान डिक्रीधन मद में राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना के अंतर्गत अपराध पीड़ितों को या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 21.80 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 21,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 3

1984 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) हेतु राशि रुपये 2.75 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

म.प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया जाकर सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 12.00 लाख राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 2

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के अंतर्गत प्रदेश में एम.एस.एम.ई. बिजनेस फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। इस हेतु परामर्श सेवायें मद में रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

वर्ष 2015-16 में ऊर्जा विकास उपकर में कुल राशि रूपये 313,13,35,000 प्राप्त हुई है। बजट प्रावधान राशि रूपये 2,50,00,00,000 का है। अतः शेष राशि रूपये 63,13,35,000 का अंतरण ऊर्जा विकास निधि में करने हेतु रूपये 63,13,35,000 का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 63,13,35,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

निःशुल्क विद्युत प्रदाय प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 447.94 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,47,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

टैरिफ सबसिडी में राशि रूपये 386.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,86,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिये उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन उधारों को राज्य शासन द्वारा अपने ऊपर स्थानांतरित करने के लिये रूपये 4011.00 करोड़ का अनुदान विद्युत कंपनियों को दिया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 40,11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 5

मुख्य मंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना अंतर्गत राशि ऊर्जा विकास निधि से व्यय हेतु रूपये 2,22,59.25 लाख के विरुद्ध रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अंशपूजी मद में किया जाना है। आवश्यक राशि पुनर्विनियोजन से उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिये उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन उधारों को राज्य शासन द्वारा अपने ऊपर स्थानांतरित करने के लिये रूपये 3557.00 करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अंशपूजी मद में किया जाना है। आवश्यक राशि पुनर्विनियोजन से उपलब्ध कराई जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 8

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की नवीन केन्द्र प्रवर्तित कृषि वानिकी सब मिशन योजना अंतर्गत नवीन मद हेतु राशि रूपये 800 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

विपणन संघ को प्याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 2

जिला सहकारी बैंकों की अंशपूजी में धनवेष्टन हेतु राशि रुपये 3100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 31,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा निर्गमित आई.पी.डी.आई./एल.टी.डी. अंतर्गत बाण्ड क्रय हेतु राशि रुपये 3900.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 39,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 4

तिहलन संघ द्वारा एन.डी.डी.बी. से लिये गये ऋण के एकमुश्त समझौता हेतु रुपये 1792.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के संधारण कार्य हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 7000.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 2

आर्सेनिक/फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल के लिये संयंत्र की स्थापना का कार्य राशि रुपये 15.85 करोड़ की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 2

रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में माननीय अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते/मानदेय हेतु राशि रुपये 6.25 लाख राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है एवं नवीन वाहन के क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 6,25,000 तथा वाहन क्रय हेतु रुपये 10,00,000 कुल राशि रुपये 16,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 1

भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना जिला बुरहानपुर लागत रुपये 10445.00 लाख का निर्माण प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रुपये 170.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 70.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तथा निम्नानुसार 12 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट प्रावधान से की जावेगी।

क्र.	जिले का नाम	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान की राशि (रु. में)
1.	होशंगाबाद	होशंगाबाद जासलपुर पिपरिया से जासलपुर टिल मार्ग	2.50	253.28	100
2.	भोपाल	मेन रोड बायपास से सी.ए.पी.टी. कान्हासैया मार्ग	2.74	314.93	100
3.	छतरपुर	छतरपुर जिला अंतर्गत ग्राम नैनागिरी से मझगुवाघाट मार्ग	6.50	900.00	100
4.	शिवपुरी	गुडर से गोलाघाट मार्ग	2.20	294.20	100
5.	इंदौर	अम्बाचंदन से हरसौला (आर्यवाटिका) वेटनरी मार्ग	5.20	264.50	100
6.	इंदौर	चैनपुरा से झाड़ीबरोद मार्ग	4.00	281.33	100
7.	इंदौर	महुगांव (दुर्गाचौक) से भैंसलाय मार्ग	5.33	313.75	100
8.	इंदौर	महुगांव भाटखेड़ी मार्ग	3.80	336.59	100
9.	इंदौर	नेउगुराडिया से भगोरा मार्ग	5.00	316.40	100
10.	उज्जैन	रूपाखेड़ी से लक्ष्मीपुरा व्हाया तराना	39.74	9600.00	100
11.	सागर	रोड बिधाई गंगरूआ इमलिया मार्ग	7.50	576.60	100
12.	सागर	बलउ दुगाहा खुर्द टपरा उजनेर मार्ग	7.50	560.12	100

अतः उक्त प्रयोजनार्थ रुपये 70,00,01,200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण अंतर्गत राशि रुपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के लिये राशि रुपये 1.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों हेतु राशि रुपये 6,92,89.89 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,92,89,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत भू-राजस्व के जारी विज्ञापन आदेशों का भुगतान करने हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 2

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन प्रभाग के अंतर्गत राज्य उत्पादक शुल्क जारी किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 3

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन प्रभाग के अंतर्गत कला एवं संस्कृति के लिये जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को समाहित करने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 4

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार, प्रकाशन के हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत सूचना और प्रसार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा, नमामि देवी नर्मदे, उदय अभियान, आनंदम, मिल बांचे, मध्यप्रदेश बहुमुखी विकास के अतिरिक्त अन्य प्रिन्ट मीडिया हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) के अंतर्गत राज्य शासन की योजनाओं, कार्यक्रम, निर्णयों, नीतियों का समाचार चैनल, सिनेप्लेक्स, रेडियों, वेबसाईट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन प्रभाग के सड़क सेतु के अंतर्गत जारी किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 1

म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन व्ययों की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25482.00 लाख के ऋण की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,54,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना के नवीन कार्य हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट प्रावधान से की जायेगी।

सं.क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत	सिंचाई	अनुपूरक
					क्षमता अनुदान की राशि

1.	कोटेश्वर (ईमलीपाड़ा) लघु सिंचाई योजना	रतलाम	6963.40	1999	100
----	---------------------------------------	-------	---------	------	-----

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 53
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित स्वच्छ भारत अभियान योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) अंतर्गत राशि रुपये 68,87,07,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 68,87,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 2

नवीन लालिमा अभियान योजना अंतर्गत राशि रुपये 236.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,36,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 70
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की विश्व बैंक पोषित योजना अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम परियोजना का द्वितीय चरण विस्तारित किये जाने के कारण केन्द्रांश राशि रुपये 72.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण हेतु राशि रुपये 77.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1,3-4

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण अंतर्गत (191) में राशि रुपये 1,92,34,95,000 (192) में राशि रुपये 68,19,87,000 एं (193) में राशि रुपये 1,31,35,18,000 इस प्रकार कुल राशि रुपये 3,91,90,00,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,91,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के लिये राशि रुपये 32,59,09,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 32,59,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु सहायक अनुदान के लिये राशि रुपये 719.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,19,10,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।